

क्रमांक 1329 /स्था./मु0अ0/लो0स्वा0यां0/2024

ग्वालियर, दिनांक 02/05/2025

प्रति,

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन वाणगंगा भोपाल

विषय:- विशेष भर्ती अभियान के तहत तृतीय एवं चतुर्थ संवर्ग के पद पर निःशक्तजनों के पदों हेतु वॉक-इन-इन्टरव्यू उपरांत संशोधित मैरिट सूची अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि, विशेष भर्ती अभियान के तहत तृतीय एवं चतुर्थ संवर्ग के पद पर निःशक्तजनों के पदों हेतु वॉक-इन-इन्टरव्यू उपरांत संशोधित मैरिट सूची अनुसार संबंधित विभागों से प्रमाणीकरण उपरांत, चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाना है।

अतः संशोधित मैरिट सूची अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेशों को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु, पत्र आपकी ओर प्रेषित है।

सलंगन:- उपरोक्तानुसार

(आर.एल.एस.मौर्य)

मुख्य अभियंता

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
ग्वालियर परिक्षेत्र ग्वालियर

**कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
ग्वालियर परिक्षेत्र, ग्वालियर (म०प्र०)**

पानी की टंकी गुरार, ग्वालियर - 474006 [cephedgwa@gmail.com] 0751-2365438

क्रमांक 165 /स्था./अराज./मु०अ०/लो०स्वा०या०/ग्वालियर/2024

दिनांक 25/04/2024

//आदेश//

म०प्र०शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-8-2/2013/आ.प्र./एक, दिनांक 04.01.2024 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 296/1857412/2024/26-1 भोपाल 21/02/2024 एवं प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 5413/स्था.अराज./प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./भोपाल, दिनांक 07.06.2024 में दिये गये निर्देशानुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ग्वालियर की उपस्थिति में चयन समिति की प्रक्रिया के माध्यम से विशेष भर्ती अभियान के तहत वॉक-इन इन्टरव्यू के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित) सेवा (सेवा की शर्तें तथा भर्ती) नियम 1976 एवं 2011 अद्यतन संशोधित प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये दिनांक 02.01.2025 को आयोजित छानबीन समिति की अनुशंसा अनुसार अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक नियमित स्थापना के जिला स्तरीय भूतय के पद पर उनके नाम एवं पद सहित क्रमशः कॉलम क्रमांक 2 एवं 3 के सम्मुख अंकित कार्यालय में मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के पे ग्रेडिक्स लेवल-1-वेतनमान रु. 15500 - 49000 में न्यूनतम वेतन रूपये 15500/- (समय-समय पर शासन द्वारा देय महगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों सहित) निम्नलिखित शर्तों के साथ निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान कर संबंधित नाम के सम्मुख दर्शाये स्थान पर पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम व स्थाई पता	पद व दिव्यांगता की श्रेणी	जन्म तिथि	पदस्थापना कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5
3	श्री महेश मिश्रा (सामान्य) पुत्र श्री कृष्ण कुमार मिश्रा पता ग्राम व पोस्ट बरा, तहसील बण्डा जिला सागर (म.प्र.) पिनकोड 470335	भूतय (दृष्टि बाधित)	30.11.1998	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड सागर (म.प्र.)

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

- 1- निशक्तजनों के पदों हेतु वरिष्ठ कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति की जा रही है।
- 2- रिक्त पदों की नियुक्ति विभागीय वेबसाइट एवं राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों में से की जा रही है।
- 3- रिक्त पदों की भर्ती संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ग्वालियर की उपस्थिति में की जा रही है।
- 4- रिक्त पदों पर नियुक्ति वॉक-इन-इन्टरव्यू में उपस्थित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच उपरांत ही की जा रही है।
- 5- रिक्त पदों पर भर्ती 40 प्रतिशत एवं उससे अधिक दिव्यांगता के आधार पर की जा रही है।
- 6- रिक्त पदों पर नियुक्ति के पश्चात एवं उनके कार्यग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड से निशक्तता प्रमाण-पत्र का परीक्षण संबंधित जिले के द्वारा कराया जायेगा। निशक्तता संबंधी तथ्यों के असंगत/त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर यह नियुक्ति आदेश अमान्य कर दिया जावेगा।
- 7- रिक्त पदों पर नियुक्ति, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम 1976 के अध्याधीन होगी।
- 8- सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन दिनांक 13.10.2015 के अनुसार मूक बधिर श्रेणी के निशक्तजनों की नियुक्ति के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड से वैरा टेस्ट करा लिया गया है।
- 9- अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाणपत्र, मूल निवासी प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
- 10- चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- 11- रिक्त पदों पर उक्त नियुक्तियां, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों के अधीन की जा रही है।

(Handwritten signature)

- 12- रिक्त पदों पर नियुक्तियों हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम 45 वर्ष, जिसकी आयु गणना 01 जनवरी 2023 के अनुसार की जाकर, की जा रही है।
- 13- रिक्त पदों पर नियुक्तियां, अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई निर्धारित शैक्षणिक योग्यता शर्तों की मूल अंकसूची में प्राप्त अंकों की गैरिट के आधार पर की जा रही है। मूल अंकसूची के सत्यापन उपरांत असाध्य पाये जाने पर नियुक्तियां रद्द कर दी जावेगी।
- 14- रिक्त पदों पर नियुक्तियां, अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताओं संबंधी प्रमाणपत्र, आवेदन पत्र भरने की तिथि जो, अनिवार्य रूप से पूर्ण होने के, परीक्षण उपरांत की जा रही है।
- 15- रिक्त पदों पर नियुक्तियां, यथासंशोधित मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम-6 के उपबन्धों के अनुसार 26 जनवरी 2001 के पश्चात अभ्यर्थी को कोई तीसरी संतान नहीं है, के आधार पर की जा रही है, यदि उक्त राबध में तथ्य असाध्य पाये जाते हैं तो राबधित नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जावेगी।
- 16- निशाकाजनों हेतु सभी रिक्त पद अस्थाई है तथा चयन किये गये अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय यत्नभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/1 दिनांक 12 दिसम्बर 2019 मध्य प्रदेश, लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्तियां प्रथमतः तीन वर्ष की कालावधि के लिए परीक्षा पर होगी। परीक्षा अवधि में उक्त पद के वेतनमान के न्यूनतम की प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर नियमित वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारम्भ किया जावेगा। परीक्षा अवधि में कार्य एवं व्यवहार असातोपजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
- 17- नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं उन्हें अपने नियुक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र, अमांग/अज्ञात प्रमाणपत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 18- रिक्त पदों पर नियुक्तियां पुलिस विभाग से चरित्र सत्यापन उपरांत अनुकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। अनुकूल प्रतिवेदन प्राप्त न होने पर नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
- 19- नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 20- रिक्त पदों पर नियुक्तियों की सूचना अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित स्थाई पते पर दी जा रही है।
- 21- मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (अस्थाई एवं अद्वितीय) सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय एक माह की सूचना देकर या एवज में एक माह के वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। राबधित व्यक्ति द्वारा एक माह की सूचना दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन एवं भत्ते भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर की राशि राबधित व्यक्ति से भू-राजस्व की भांति वसूली योग्य होगी।
- 22- अभ्यर्थी को सम्पूर्ण सेवाकाल में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आवरण) नियम 1965 का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 23- राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी अन्य सभी शर्तें एवं आदेश यथावत लागू होंगे।
- 24- मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक 1/एफ-9/3/2003/नियम-चार/भोपाल दिनांक 13/04/2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य नविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
- 25- आवेदकों के चयन के राबध में किसी भी विवाद पर अंतिम निर्णय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग, परिक्षेत्र ग्वालियर का ही मान्य होगा।

2

(आर.एल.एस.मौर्य)
मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग
परिक्षेत्र ग्वालियर

पृष्ठ.क्रमांक 1277/स्था./अराज./मु0अ0/लो0स्वा0यां0/ग्वालियर/2024

दिनांक 25/04/2025

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार (ले./ह.) महालेखाकार कार्यालय भोपाल। ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग, जल भवन वाणगंगा, रोड, भोपाल की ओर पत्र क्रमांक 5413/स्था. अराज/प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./भोपाल, दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

3. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल ग्वालियर/ परियोजना मण्डल चम्बल संभाग मुरैना/मण्डल सागर/मण्डल पन्ना की ओर सूचनार्थ।
4. संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला..... की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजकर निर्देशित किया जाता है, कि आप व्यक्तिगत रूप से निःशक्तजन के आधार पर नियुक्ति प्रदान किये गये कर्मचारी के मूल प्रमाणपत्र जैसे शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी प्रमाण पत्रों की जांच एवं निःशक्तता प्रमाण पत्र की जांच जिला मेडीकल बोर्ड से कराने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करावें।
7. जिला चिकित्सा अधिकारी, जिला..... की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. संबंधित श्री.....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. आदेश नस्ती।

2

(अर. एल. एस. मौर्य)
मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
ग्वालियर परिक्षेत्र ग्वालियर

**कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
ग्वालियर परिसर, ग्वालियर (गोप्रो)**

पानी की टंकी मुरा, ग्वालियर - 474000 [cephedgwa@gmail.com] 0751-2365438

कर्मक 167 / स्था./अराज/मु030/लोकस्वा0मा0/ग्वालियर/2024

दिनांक 01/05/2025

//आदेश//

गोप्रोशासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कर्मक एफ-8-2/2013/आप्र/एक, दिनांक 04.01.2024 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र कर्मक 290/1057412/2024/20-1 भोपाल 21/02/2024 एवं प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल के पत्र कर्मक 6413/स्थाअराज/प्रअ/लोस्वा मां नि/भोपाल, दिनांक 07.06.2024 में दिये गये निर्देशानुसार अपोहरताधारकर्ता की अयोग्यता से संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ग्वालियर की उपस्थिति में मपन समिति की प्रक्रिया के माध्यम से विशेष भर्ती अभियान के तहत बॉक-इन इन्टरव्यू के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित) सेवा (सेवा की शर्तें तथा शर्तों) नियम 1976 एवं 2011 अर्थात् सशोचित प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये दिनांक 02.01.2025 को आयोजित भवनीन समिति की अनुमति अनुसार अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक नियमित रूप से जिला स्तरीय सफाई कामगार के पद पर समक के मांग एवं पद सहित कमरा कॉलेज कर्मक 2 एवं 3 के सम्मुख स्थापना के जिला स्तरीय सफाई कामगार के पद पर समक के मांग एवं पद सहित कमरा कॉलेज कर्मक 2 एवं 3 के सम्मुख अर्जित कार्यलय में मध्यप्रदेश चेतन पुनर्स्थापन नियम 2017 के मे मेडीकल लेवल-1- चेतनमान रु. 15500- 49000 में न्यूनतम चेतन रुपये 15500/- (समय-समय पर शासन द्वारा देय महगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों सहित) निम्नलिखित शर्तों के साथ चेतन रुपये 15500/- (समय-समय पर शासन द्वारा देय महगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों सहित) निम्नलिखित शर्तों के साथ निम्नलिखित भर्तित अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान कर संबंधित मांग के सम्मुख दर्शाये स्थान पर पदस्थ किया जाता है-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम व स्थाई पता	पद व दिव्यांगता की श्रेणी	जन्म तिथि	पदस्थापना कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री मीर सिंह सवत (अपित) पुत्र श्री जगसम पता ग्राम डिगवार पीरट अटार तहसील सबलमढ़ जिला गुरगा गोप्रो पिनकोड 476220	सफाई कामगार (भौतिक दिव्यांगता)	10.05.2002	कार्यालयन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड शिवपुरी
2	श्री आदित्य परितार (अजा) पुत्र श्री गृजेन्द्र सिंह परितार पता निम्बा जी की रको, पानी की टंकी के सामने, जीवाजी गंज लखर, ग्वालियर गोप्रो पिनकोड 474001	सफाई कामगार (मानसिक)	25.05.2000	कार्यालयन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड कर्मक 1 ग्वालियर

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

- निशक्तजनों के पदों हेतु परिसर कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति की जा रही है।
- रिक्त पदों की नियुक्ति विभागीय वेबसाइट एवं राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों में से की जा रही है।
- रिक्त पदों की भर्ती संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ग्वालियर की उपस्थिति में की जा रही है।
- रिक्त पदों पर नियुक्ति बॉक-इन-इन्टरव्यू में उपस्थित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच उपरांत ही की जा रही है।
- रिक्त पदों पर भर्ती 40 प्रतिशत एवं उससे अधिक दिव्यांगता के आधार पर की जा रही है।
- रिक्त पदों पर नियुक्ति के पश्चात एवं उनके कार्यग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड से निशक्तता प्रमाण-पत्र का परीक्षण संबंधित जिले के द्वारा कराया जायेगा। निशक्तता संबंधी तथ्यों के अरंगत/त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर यह नियुक्ति आदेश अमान्य कर दिया जायेगा।
- रिक्त पदों पर नियुक्ति, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम 1976 के अध्याधीन होगी।
- सामान्य प्रशासन विभाग के द्राफ्ट दिनांक 13.10.2015 के अनुसार मूक बधिर श्रेणी के निशक्तजनों की नियुक्ति के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड से वैसा टेस्ट करा लिया गया है।
- अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाणपत्र, मूल निवासी प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
- चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मुख्यालय पर स्थित मेडीकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।



- 11- रिक्त पदों पर उक्त नियुक्तियां, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों के अधीन की जा रही है।
- 12- रिक्त पदों पर नियुक्तियों हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम 45 वर्ष, जिराकी आयु गणना 01 जनवरी 2023 के अनुसार की जाकर, की जा रही है।
- 13- रिक्त पदों पर नियुक्तियों, अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये राक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 8वीं की मूल अंकसूची में प्राप्त अंकों की गैरिट के आधार पर की जा रही है। मूल अंकसूची के सत्यापन उपरांत अस्तित्व पाये जाने पर नियुक्तियां रद्द कर दी जावेगी।
- 14- रिक्त पदों पर नियुक्तियां, अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताओं संबंधी प्रमाणपत्र, आवेदन पत्र भरने की तिथि जो, अनिवार्य रूप से पूर्ण होने के, परीक्षण उपरांत की जा रही है।
- 15- रिक्त पदों पर नियुक्तियां, यथाराशोचित मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तों) नियम 1951 के नियम-6 के उपबंधों के अनुसार 26 जनवरी 2001 के पश्चात अभ्यर्थी को कोई तीसरी संतान नहीं है, के आधार पर की जा रही है, यदि उक्त संबंध में तथ्य अस्तित्व पाये जाते हैं तो संबंधित नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जावेगी।
- 16- निशाक्ताजनों हेतु सभी रिक्त पद अस्थाई है तथा चयन किये गये अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय यत्नभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/1 दिनांक 12 दिसम्बर 2019 मध्य प्रदेश, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्तियां प्रथमतः तीन वर्ष की कालावधि के लिए परीक्षा पर होगी। परीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम की प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर नियमित वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारम्भ किया जायेगा। परीक्षा अवधि में कार्य एवं व्यवहार अंततः पत्रजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
- 17- नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्ण से शासकीय/अर्धशासकीय सेवा में सेवारत है उन्हें अपने नियुक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र, अमांग/अजांच प्रमाणपत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 18- रिक्त पदों पर नियुक्तियां पुलिस विभाग से चरित्र सत्यापन उपरांत अनुकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। अनुकूल प्रतिवेदन प्राप्त न होने पर नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
- 19- नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस की समयवधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 20- रिक्त पदों पर नियुक्तियों की सूचना अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित स्थाई पते पर दी जा रही है।
- 21- मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (अस्थाई एवं अद्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय एक माह की सूचना देकर या एवज में एक माह के वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह की सूचना दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन एवं भत्ते भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर की राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की भांति वसूली योग्य होगी।
- 22- अभ्यर्थी को सम्पूर्ण सेवाकाल में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 23- राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी अन्य सभी शर्तें एवं आदेश यथावत लागू होंगे।
- 24- मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक 1/एफ-9/3/2003/नियम-चार/भोपाल दिनांक 13/04/2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
- 25- आवेदकों के चयन के संबंध में किसी भी विवाद पर अंतिम निर्णय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र ग्वालियर का ही मान्य होगा।

(आर.एल.एस. मौर्य)
मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
ग्वालियर परिक्षेत्र ग्वालियर

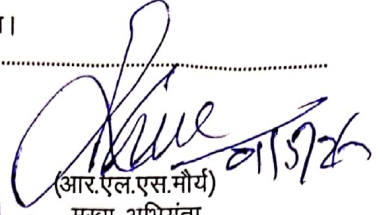
पृष्ठ क्रमांक 1297 /स्था./अराज./मु0अ0/लो0स्वा0यां0/ग्वालियर/2024

दिनांक 01/05/2025

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार (ले./ह.) महालेखाकार कार्यालय भोपाल। ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन वाणगंगा, रोड़, भोपाल की ओर पत्र क्रमांक 5413/स्था. अराज./प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./भोपाल, दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधीक्षक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल ग्वालियर/ परियोजना मण्डल चम्पल संभाग मुरैना/मण्डल सागर/मण्डल पन्ना की ओर सूचनार्थ।

4. संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला..... की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजकर निर्देशित किया जाता है, कि आप व्यक्तिगत रूप से निःशक्तजन के आधार पर नियुक्ति प्रदान किये गये कर्मचारी के मूल प्रमाणपत्र जैसे शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी प्रमाण पत्रों की जांच एवं निःशक्तता प्रमाण पत्र की जांच जिला मेडीकल बोर्ड से कराने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करावें।
7. जिला चिकित्सा अधिकारी, जिला..... की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. संबंधित श्री..... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. आदेश नस्ती।?


(आर.एल.एस.सौर्य)
मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
ग्वालियर परिक्षेत्र ग्वालियर